Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 20-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 16, 2023 (VAISAKHA 26, 1945 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2023

संख्या 1/20/2016–5पी0आर0 (एफ0डी0).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) संशोधन नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम प्रथम जनवरी, 2016 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,–

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(ख) सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन–मैट्रिक्स में "लागू स्तर" से अभिप्राय होगा, प्रथम जनवरी, 2016 को अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान के तत्समान ए.सी.पी. स्तर;

प्रथम जनवरी, 2016 के बाद की तिथि से वृत्तिमूलक स्तर के पश्चात्वर्ती उपांतरण/अपग्रेडेशन के मामले में, ऐसा उपांतरित/अपग्रेडिड वृत्तिमूलक स्तर अनुसूची–I क में विनिर्दिष्ट पश्चात्वर्ती सुनिश्चित जीविका प्रगतियाँ प्रदान करने के उददेश्य से वृत्तिमूलक वेतन ढांचा होगा;';

(ii) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ज) "सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन प्रथम/द्वितीय/तृतीय सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर" से अभिप्राय है, अनुसूची–I के भाग II के खाना 3 में वर्णित प्रथम जनवरी, 2016 को वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन के संदर्भ में अनुसूची–I के भाग II के क्रमशः खाना 3, 4 तथा 5 में यथा वर्णित सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उच्चतर स्तर के अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय अपग्रेडेशन और क्रमशः प्रथम ए.सी.पी स्तर, द्वितीय ए.सी.पी. स्तर तथा तृतीय ए.सी.पी. स्तर के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;

प्रथम जनवरी, 2016 के बाद की तिथि से वृत्तिमूलक स्तर के उपांतरण/अपग्रेडेशन के मामले में, अनुसूची–I क में विनिर्दिष्ट उपांतरित वृत्तिमूलक स्तर के सम्बन्ध में पश्चात्वर्ती प्रथम या द्वितीय या तृतीय सुनिश्चित जीविका प्रगति, को क्रमशः प्रथम ए.सी.पी स्तर या द्वितीय ए.सी.पी. स्तर या तृतीय ए.सी.पी. स्तर के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा;"।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

" 5. सामान्य सुनिश्चित जीविका प्रगति स्कीम.—

अनुसूची I के भाग II के खाना 3, 4 तथा 5 में अथवा अनुसूची I क के खाना 3, 4 तथा 5 में (वृत्तिमूलक स्तर के उपांतरण/अपग्रेडेशन के बाद पश्चात्वर्ती ए.सी.पी. के मामले में) यथा वर्णित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ए.सी.पी. स्तर के रूप में वित्तीय अपग्रेडेशन क्रमशः प्रथम जनवरी, 2016 को वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन अथवा प्रथम जनवरी, 2016 के बाद उपांतरित/ अपग्रेडिड वृत्तिमूलक स्तर के संदर्भ में इस स्कीम के अधीन आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी। तथापि, पदोन्नति के बाद पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी के मामले में, हकदारी ए.सी.पी. स्तर प्रथम जनवरी, 2016 को पदोन्नत पद का विद्यमान वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन अथवा प्रथम जनवरी, 2016 के बाद उपांतरित वृत्तिमूलक स्तर (ऐसे उपांतरण/अपग्रेडेशन के पश्चात्वर्ती ए.सी.पी. के मामले मे) के तत्समान वेतन का स्तर होगा।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 7 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) वेतन के आहरण के प्रयोजनों के लिए, सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, निम्नानुसार दिए गए प्रथम ए.सी.पी. स्तर के लिए पात्र होगा—

(क) प्रथम जनवरी, 2016 को उसके पद के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अनुसूची I के भाग II के खाना 3 (जहाँ वृत्तिमूलक स्तर प्रथम जनवरी, 2016 के बाद से ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि तक आगे उपांतरित/अपग्रेडिड नहीं किया गया); या

(ख) प्रथम जनवरी, 2016 के उपरांत उसके पद के उपांतरित वृत्तिमूलक स्तर के सम्बन्ध में अनुसूची I क के खाना 3, ऐसे उपांतरण/अपग्रेडेशन के बाद के पश्चात्वर्ती ए.सी.पी. हेतु;

यदि उसने नियमित संतोषजनक सेवा के आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा उसे पद, जिसके लिए वह सीधी भर्ती के रूप में भर्ती किया गया था, के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे अथवा/और उपांतरित/अपग्रेडिड वृत्तिमूलक स्तर, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ में, इन आठ वर्षों में कोई वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त नहीं की है।"।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) वेतन के आहरण के प्रयोजनों के लिए, सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, निम्नानुसार दिए गए द्वितीय ए.सी.पी. स्तर के लिए पात्र होगा—

(क) प्रथम जनवरी, 2016 को उसके पद के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अनुसूची I के भाग II के खाना 4 (जहाँ वृत्तिमूलक स्तर प्रथम जनवरी, 2016 के बाद से ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि तक आगे उपांतरित/अपग्रेडिड नहीं किया गया); या

(ख) प्रथम जनवरी, 2016 के उपरांत उसके पद के उपांतरित वृत्तिमूलक स्तर के सम्बन्ध में अनुसूची I क के खाना 4, ऐसे उपांतरण/अपग्रेडेशन के बाद के पश्चात्वर्ती ए.सी.पी. हेतु;

यदि उसने नियमित संतोषजनक सेवा के सोलह वर्ष पूरे कर लिए हैं बशर्ते कि उसने पद, जिसके लिए वह सीधी भर्ती के रूप में भर्ती किया गया था, के वृत्तिमूलक वेतन ढ़ांचे अथवा/और उपांतरित/अपग्रेडिड वृत्तिमूलक स्तर, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ केवल एक वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त की है ।"।

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) वेतन के आहरण के प्रयोजनों के लिए, सामान्य ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, निम्नानुसार दिए गए तृतीय ए.सी.पी. स्तर के लिए पात्र होगा—

(क) प्रथम जनवरी, 2016 को उसके पद के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अनुसूची I के भाग II के खाना 5 (जहाँ वृत्तिमूलक स्तर प्रथम जनवरी, 2016 के बाद से ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि तक आगे उपांतरित/अपग्रेडिड नहीं किया गया); या

(ख) प्रथम जनवरी, 2016 के उपरांत उसके पद के उपांतरित वृत्तिमूलक स्तर के सम्बन्ध में अनुसूची I क के खाना 5, ऐसे उपांतरण/अपग्रेडेशन के बाद के पश्चात्वर्ती ए.सी.पी. हेतु;

यदि उसने नियमित संतोषजनक सेवा के चौबीस वर्ष पूरे कर लिए हैं और उसने पद, जिसके लिए वह सीधी भर्ती के रूप में भर्ती किया गया था, के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे अथवा/और उपांतरित/अपग्रेडिड वृत्तिमूलक स्तर के संदर्भ में अब तक दो से अधिक वित्तीय अपग्रेडशन प्राप्त नहीं की है ।"।

(घ) उपनियम (4) में, प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"पदोन्नत सरकारी कर्मचारी के मामले में, उसे पदोन्नति के पश्चात् बिना किसी वित्तीय अपग्रेडेशन के पदोन्नत पद पर नियमित संतोषजनक सेवा के आठ वर्ष पूरे किए जाने के उपरान्त ही अगले ए.सी.पी. स्तर के लिए विचारा जाएगा और पदोन्नत पद, जिसको वह धारण करता है, के वृत्तिमूलक वेतन ढ़ांचे अथवा वृत्तिमूलक स्तर के संदर्भ में यथा उपबन्धित अनुसार अगले ए.सी.पी. स्तर वेतन के लिए हकदार होगा।

(क) प्रथम जनवरी, 2016 को उसके पद के वृत्तिमूलक वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अनुसूची I के भाग II (जहाँ वृत्तिमूलक स्तर प्रथम जनवरी, 2016 के बाद से ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि तक आगे उपांतरित/अपग्रेडिड नहीं किया गया); या

(ख) प्रथम जनवरी, 2016 के उपरांत उसके पद के उपांतरित वृत्तिमूलक स्तर के सम्बन्ध में अनुसूची I क, ऐसे उपांतरण/अपग्रेडशन के बाद के पश्चात्वर्ती ए.सी.पी. हेतु:"।

(ङ) व्याख्या 2 में, खण्ड 6 का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 15 में,–

(i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि पद, जिसका वृत्तिमूलक स्तर प्रथम जनवरी, 2016 के उपरांत आगे उपांतरित/अपग्रेडिड किया गया है, के मामले में, पश्चात्वर्ती ए.सी.पी., अनुसूची I क में यथा विनिर्दिष्ट उपांतरित वृत्तिमूलक स्तर के आधार पर विचारी जाएगी ।"

6. उक्त नियमों में, नियम 16 में, व्याख्याः 3 का लोप कर दिया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 21 में,–

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु प्रथम जनवरी, 2016 के उपरांत, उस पद के प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय ए.सी.पी. स्तर में वेतन आहरित करते हुए, पद के वृत्तिमूलक स्तर में उपांतरण/अपग्रेडेशन के मामले मे, ऐसे उपांतरण/अपग्रेडेशन पर वेतन, उपांतरित वृत्तिमूलक वेतन स्तर के सम्बन्ध में क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय ए.सी.पी. स्तर में समान सैल या अगले सैल में नियत किया जाएगा (यदि समान सैल उपलब्ध नहीं है), किन्तु ऐसे ए.सी.पी. स्तर के प्रथम सैल से कम नहीं होगा। जहाँ उपांतरित वृत्तिमूलक वेतन स्तर के संदर्भ में ए.सी.पी. स्तर मे नियत वेतन पूर्व उपांतरित वृत्तिमूलक वेतन स्तर के ए.सी.पी. में पहले से आहरित वेतन से अधिक है, तो अगली वेतनवृद्धि की तिथि पात्रता के अध्यधीन प्रथम जनवरी अथवा प्रथम जुलाई होगी। यदि वेतन उसी सेल में नियत होता है, तो ऐसे मामले में वेतनवृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी।"

8. उक्त नियमों में, अनुसूची I भाग II के उपरांत, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"अनुसूची I क

सामान्य ए.सी.पी. मैट्रिक्स

(वृत्तिमूलक वेतन स्तर में उपांतरण/अपग्रेडेशन के उपरांत पश्चात्वर्ती ए.सी.पी.)

क्रम संख्या	प्रथम जनवरी, 2016 के बाद उपांतरण/अपग्रेडेशन के मामले में, उपांतरित वृत्तिमूलक वेतन स्तर	प्रथम ए.सी.पी.एल (8 वर्ष)	ए.सी.पी.एल का न्यूनतम	द्वितीय ए.सी.पी.एल (16 वर्ष)	ए.सी.पी.एल का न्यूनतम	तृतीय ए.सी.पी.एल (24 वर्ष)	ए.सी.पी.एल का न्यूनतम
1	2	3		4		5	
1	डी. एल.	ए.सी.पी.एल–1 (1800)	18000	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100
2	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 1	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200
3	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 2	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200

4	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 3	ए.सी.पी.एल–4 (2400)	25500	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200
5	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 4	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200	ए.सी.पी.एल–8 (4000)	34200
6	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 5	ए.सी.पी.एल–6 (3200)	32100	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200	ए.सी.पी.एल–8 (4000)	34200
7	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 5क*	ए.सी.पी.एल–7 (3600)	33200	ए.सी.पी.एल–8 (4000)	34200	ए.सी.पी.एल–9 (4200)	35400
8	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 6	ए.सी.पी. एल–10 (4600)	44900	ए.सी.पी.एल–11 (4800)	47600	ए.सी.पी. एल–12 (5400)	53100
9	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 6क*	ए.सी.पी. एल–10 (4600)	44900	ए.सी.पी.एल–11 (4800)	47600	ए.सी.पी. एल–12 (5400)	53100
10	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 7	ए.सी.पी. एल–11 (4800)	47600	ए.सी.पी.एल–12 (5400)	53100	ए.सी.पी. एल–13 (6000)	65700
11	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 8	ए.सी.पी. एल–12 (5400)	53100	ए.सी.पी.एल–13 (6000)	65700	ए.सी.पी. एल–14 (6400)	66800
12	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 9	ए.सी.पी. एल–13 (6000)	65700	ए.सी.पी.एल–14 (6400)	66800	ए.सी.पी. एल–15 (6600)	67700
13	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 10	ए.सी.पी. एल–13 (6000)	65700	ए.सी.पी.एल–14 (6400)	66800	ए.सी.पी. एल–15 (6600)	67700
14	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 10क*	ए.सी.पी. एल–13 (6000)	65700	ए.सी.पी.एल–14 (6400)	66800	ए.सी.पी. एल–15 (6600)	67700
15	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 11	ए.सी.पी. एल–16 (7600)	78800	ए.सी.पी.एल–17 (8000)	88400	ए.सी.पी. एल–18 (8700)	123100
16	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 12	ए.सी.पी. एल–17 (8000)	88400	ए.सी.पी.एल–18 (8700)	123100	ए.सी.पी. एल–19 (8800)	123400
17	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 13	ए.सी.पी. एल–18 (8700)	123100	ए.सी.पी.एल–19 (8800)	123400	ए.सी.पी. एल–20 (8900)	123600

18	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 14	ए.सी.पी. एल—19 (8800)	123400	ए.सी.पी.एल—20 (8900)	123600	ए.सी.पी. एल—21 (9500)	125200
19	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 15	ए.सी.पी. एल—20 (8900)	123600	ए.सी.पी.एल—21 (9500)	125200	ए.सी.पी. एल—22 (9800)	126000
20	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 16	ए.सी.पी. एल—21 (9500)	125200	ए.सी.पी.एल—22 (9800)	126000	ए.सी.पी. एल—23 (10000)	128900
21	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 17	ए.सी.पी. एल—22 (9800)	126000	ए.सी.पी.एल—23 (10000)	128900	ए.सी.पी. एल—24	182200
22	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 18	ए.सी.पी. एल—23 (10000)	128900	ए.सी.पी.एल—24	182200	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं
23	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 19	ए.सी.पी. एल—24	182200	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं
24	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 20	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं	कोई ए.सी.पी. नहीं

टिप्पणः—

* ये नए वृत्तिमूलक वेतन स्तर हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 1/20/2016—5 पी.आर. (एफ.डी.), दिनांक 24 जनवरी, 2023 द्वारा समाविष्ट किए गए हैं। इन नए वृत्तिमूलक वेतन स्तरों में किसी नए पद (जो संबंधित विभाग में मौजूद नहीं है) के सृजन के मामले में, ऐसे पद के ए.सी.पी. का निर्धारण उपरोक्त यथा परिभाषित संबंधित वृत्तिमूलक स्तर के अनुरूप ए.सी.पी. की हकदारी के संदर्भ में किया जाएगा।"।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 11th May, 2023

No.1/20/2016-5PR(FD).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Amendment Rules, 2023.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2016.

2. In the Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 2016 (hereinafter called the said rules), in rule 3,-

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

'(b) *"applicable level" in the ACP Pay Matrix shall mean the ACP Level corresponding to the pay band and grade pay/ scale as on 1st January, 2016 specified in Schedule-I .*

In case of modification/ upgradation of functional level from a date after 1st January 2016, such modified/ upgraded functional level shall be functional pay structure for the purpose of grant of subsequent ACPs specified in Schedule-IA;';

(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) first / second/ third assured career progression level under general ACP scheme" means the first/second/third financial upgradation in terms of higher level for all Government employees covered under the General ACP scheme, as mentioned in columns 3, 4 and 5 respectively of Part II of Schedule I with reference to the functional grade pay as on 1st January, 2016 mentioned in column 3 of Part II of Schedule I, and shall be referred to as 1st ACPL, 2nd ACPL and 3rd ACPL respectively.

In case of modification/ upgradation of functional level from a date after 1st January 2016, subsequent first or second or third ACP with reference to modified functional level specified in Schedule IA shall be referred to as 1st ACPL or 2nd ACPL or 3rd ACPL respectively;".

3. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. General Assured Career Progression scheme.-

Financial upgradation in the form of the first, the second and the third ACP Level as mentioned in columns 3, 4 and 5 of Part II of Schedule I or columns 3, 4 and 5 of Schedule-IA (in case of subsequent ACP after modification/ upgradation of functional level) shall be admissible to all Government employees covered under this scheme with reference to the functional grade pay as on 1st January, 2016 or modified/ upgraded functional level after 1st January 2016, respectively. However, in case of an employee holding a post after promotion, the entitled ACP level shall be the level of pay corresponding to the existing functional grade pay as on 1st day of January, 2016 of the promotional post or modified functional level after 1st January, 2016 (in case of subsequent ACP after such modification/ upgradation)."

4. In the said rules, in Rule 7,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every Government employee covered under the general ACP scheme shall, for the purposes of drawal of pay, be eligible for the first ACP Level given in,-

(a) column 3 of Part II of Schedule I in respect of the functional pay structure as on 1st day of January, 2016 of his post (where functional level has not been further modified/ upgraded after 1st January 2016 till date of grant of ACP) or;

(b) column 3 of Schedule-IA in respect of the modified functional level after 1st January 2016 of his post, for subsequent ACP after such modification/ upgradation.

If he has completed 8 (eight) years of regular satisfactory service and has not got any financial upgradation in these 8 (eight) years with reference to the functional pay structure or/and modified/ upgraded functional level, as the case may be, of the post to which he was recruited as a direct recruit.";

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every Government employee covered under the general ACP scheme shall, for the purposes of drawal of pay, be eligible for the second ACP Level given in,-

(a) column 4 of Part II of Schedule I in respect of the functional pay structure as on 1st day of January, 2016 of his post (where functional level has not been further modified/ upgraded after 1st January 2016 till date of grant of ACP) or;

(b) column 4 of Schedule-IA in respect of the modified functional level after 1st January 2016 of his post, for subsequent ACP after such modification/ upgradation.

If he has completed 16 (sixteen) years of regular satisfactory service provided he has availed only one financial upgradation with reference to the functional pay structure or/and modified/ upgraded functional level, as the case may be, of the post to which he was recruited as a direct recruit.".

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Every Government employee covered under the general ACP scheme shall, for the purposes of drawal of pay, be eligible for the third ACP Level given in,-

(a) column 5 of Part II of Schedule I in respect of the functional pay structure as on 1st day of January, 2016 of his post (where functional level has not been further modified/ upgraded after 1st January 2016 till date of grant of ACP) or;

(b) column 5 of Schedule-IA in respect of the modified functional level after 1st January 2016 of his post, for subsequent ACP after such modification/ upgradation.

If he has completed 24 (twenty four) years of regular satisfactory service and has not got more than two financial upgradations so far with reference to the functional pay structure or/and modified/ upgraded functional level, as the case may be, of the post to which he was recruited as a direct recruit.".

(d) in sub-rule (4), for first para, the following para shall be substituted, namely:-

"In case of a Government employee who gets promoted, he shall be considered for the next ACP Level after he completes 8 (eight) years of regular satisfactory service in the promotional post without any financial upgradation after promotion and shall be entitled to the next ACP Level with reference to the functional pay structure or functional level of the promotional post he holds, as provided in,-

(a) Part II of Schedule I in respect of the functional pay structure as on 1st day of January, 2016 of his post (where functional level has not been further modified/ upgraded after 1st January 2016 till date of grant of ACP) or;

(b) Schedule-IA in respect of the modified functional level after 1st January 2016 of his post, for subsequent ACP after such modification/ upgradation.".

(e) In Explanation 2, clause (6) shall be omitted.

5. In the said rules, in Rule 15,-

(i) In the proviso, at the end, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that in case of the post for which the functional level has been further modified/ upgraded after 1st January, 2016, the subsequent ACP shall be considered on the basis of modified functional level as specified in Schedule-IA.".

6. In the said rules, in Rule 16, Explanation 3 shall be omitted.

7. In the said rules, in Rule 21,-

(i) At the end, for sign "." the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that in case of modification/ upgradation of functional level of a post after 1st January, 2016, while drawing pay in 1st or 2nd or 3rd ACP level of that post, the pay on such modification/ upgradation shall be fixed at equal cell or next cell (if equal cell is not available) in 1st or 2nd or 3rd ACP level corresponding to modified functional level, respectively, but not less than first cell of such ACP level. Where pay in the ACP level corresponding to modified pay level is fixed more than the pay already drawn in the ACP of pre-modified level, the date of next increment shall be 1st January or 1st July subject to eligibility. If pay is fixed at the same cell in such case the date of next increment shall remain unchanged.".

8. In the said rules, after Schedule- I Part-II, following Schedule shall be added, namely:-

"Schedule-IA

General ACP Matrix

(Subsequent ACP(s) after modification/ upgradation of functional pay structure)

Sr. No.	Modified functional level, in case of modification/ upgradation after 1.1.2016	1st ACPL (8 yrs.)	Min. of the ACPL	2nd ACPL (16 yrs.)	Min. of the ACPL	3rd ACPL (24 yrs.)	Min. of ACPL
1	**2**	**3**		**4**		**5**	
1	**DL**	ACPL-1 (1800)	**18000**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	**32100**
2	**FPL-1**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**
3	**FPL-2**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**
4	**FPL-3**	ACPL-4 (2400)	**25500**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**
5	**FPL-4**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**	ACPL-8 (4000)	**34200**
6	**FPL-5**	ACPL-6 (3200)	**32100**	ACPL-7 (3600)	**33200**	ACPL-8 (4000)	**34200**
7	**FPL-5A***	ACPL-7 (3600)	**33200**	ACPL-8 (4000)	**34200**	ACPL-9 (4200)	**35400**
8	**FPL-6**	ACPL-10 (4600)	**44900**	ACPL-11 (4800)	**47600**	ACPL-12 (5400)	**53100**
9	**FPL-6A***	ACPL-10 (4600)	**44900**	ACPL-11 (4800)	**47600**	ACPL-12 (5400)	**53100**
10	**FPL-7**	ACPL-11 (4800)	**47600**	ACPL-12 (5400)	**53100**	ACPL-13 (6000)	**65700**
11	**FPL-8**	ACPL-12 (5400)	**53100**	ACPL-13 (6000)	**65700**	ACPL-14 (6400)	**66800**
12	**FPL-9**	ACPL-13 (6000)	**65700**	ACPL-14 (6400)	**66800**	ACPL-15 (6600)	**67700**
13	**FPL-10**	ACPL-13 (6000)	**65700**	ACPL-14 (6400)	**66800**	ACPL-15 (6600)	**67700**
14	**FPL-10A***	ACPL-13 (6000)	**65700**	ACPL-14 (6400)	**66800**	ACPL-15 (6600)	**67700**
15	**FPL-11**	ACPL-16 (7600)	**78800**	ACPL-17 (8000)	**88400**	ACPL-18 (8700)	**123100**
16	**FPL-12**	ACPL-17 (8000)	**88400**	ACPL-18 (8700)	**123100**	ACPL-19 (8800)	**123400**
17	**FPL-13**	ACPL-18 (8700)	**123100**	ACPL-19 (8800)	**123400**	ACPL-20 (8900)	**123600**
18	**FPL-14**	ACPL-19 (8800)	**123400**	ACPL-20 (8900)	**123600**	ACPL-21 (9500)	**125200**
19	**FPL-15**	ACPL-20 (8900)	**123600**	ACPL-21 (9500)	**125200**	ACPL-22 (9800)	**126000**

20	**FPL-16**	ACPL-21 (9500)	**125200**	ACPL-22 (9800)	**126000**	ACPL-23 (10000)	**128900**
21	**FPL-17**	ACPL-22 (9800)	**126000**	ACPL-23 (10000)	**128900**	ACPL-24	**182200**
22	**FPL-18**	ACPL-23 (10000)	**128900**	ACPL-24	**182200**	No ACP	No ACP
23	**FPL-19**	ACPL-24	**182200**	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP
24	**FPL-20**	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP	No ACP

Note:-
*** These Newly Functional pay levels have been introduced vide Haryana Government notification No. 1/20/2016- 5 PR (FD) dated 24th January, 2023. In case creation of any new post (not existing in concerned department) in one of these new functional pay levels, ACP of such post shall be determined with reference to entitlements of ACP, corresponding to concerned functional pay level as defined above.**".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.